

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष नं.0141-2711978, 2711938


क्रमांक:- प.101/नि.अ.मा.वि./छात्रा.संचालन/2015-16/

जयपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित राजकीय अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासों में छात्रावास संचालन हेतु आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार क्रय-समिति का गठन किया जाता है:-

1. जिला कलेक्टर - अध्यक्ष।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य।
3. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - सदस्य
4. कोषाधिकारी - सदस्य।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी - सदस्य सचिव।


(जमील अहमद कुरैशी)

निदेशक


जयपुर, दिनांक 03/12/2020

क्रमांक:- प.101/नि.अ.मा.वि./छात्रा.संचालन/2015-16/ 86 79 85

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, राजस्थान (समस्त)।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान (समस्त)।
6. निजी सहायक, निदेशक, कार्यालय हाजा।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय हाजा।
8. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त जिला स्तरीय)।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, राजस्थान (समस्त)।
10. कोषाधिकारी, राजस्थान (समस्त)।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
12. उपनिदेशक प्रथम/उपनिदेशक द्वितीय/उपनिदेशक पीएमजेवीके, कार्यालय हाजा।
13. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

15. सु. जि. शिक्षा अधिकारी, राज. हाजा।


(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त निदेशक